"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2006—आश्विन 19, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक 12284/डी-2525/21-ब/छ. ग./2006.—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्रमांक 33 सन् 1989) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से नीचे सारणी के कालम (1) में दर्शाये जिले के लिए उक्त सारणी के कॉलम (2) में उससे संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण करने के लिए दिनांक 8-10-2006 से विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :—

सारणी

	जिला का नाम (1)	विशेष न्यायालय के रूप में सत्र न्यायालय का नाम (2)
1.	जांजगीर-चांपा	सत्र न्यायालय, जांजगीर-चांपा
2.	धमतरी	सत्र न्यायालय, धमतरी
3.	महासमुंद	सत्र न्यायालय, महासमुंद

(1)	(2)
4. कोरिया (बैकुण्ठपुर)	सत्र न्यायालय, कोरिया (बैकुण्ठपुर)
5. उत्तर बस्तर (कांकेर)	सत्र न्यायालय, उत्तर बस्तर (कांकेर)

यह अधिसूचना अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्रमांक 33 सन् 1989) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के संबंध में म. प्र. शासन, विधि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 1-2-90-इक्कीस-बी (1), दिनांक 30 जनवरी 1990 जहां तक कि वह सत्र खण्ड बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा स्थान अंबिकापुर एवं बस्तर के गठन से संबंधित है तथा म. प्र. शासन, विधि विभाग की अधिसूचना क्र. 1-2-90-इक्कीस-बी (1), दिनांक 26 अक्टूबर, 1995 जहां तक कि वह सत्र खण्ड बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा स्थान अंबिकापुर एवं बस्तर के इस अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय से संबंधित है, को संशोधित करती है.

विशेष न्यायालय जांजगीर-चांपा, धमतरी, महासमुंद, कोरिया (बैकुण्ठपुर) एवं उत्तर बस्तर (कांकेर) के अधीन समाविष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण जो कि विशेष न्यायालय बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा स्थान अंबिकापुर एवं बस्तर में दिनांक 8-10-06 को लंबित है, विशेष न्यायालय जांजगीर-चांपा, धमतरी, महासमुंद, कोरिया (बैकुण्ठपुर) एवं उत्तर बस्तर (कांकेर) को अंतरित हो जावेंगे.

Raipur, the 9th October 2006

NOTIFICATION

F. No. 12284/D-2525/XXI-B/C. G./06.—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Government, with the concurrence of the Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, hereby specifies for District mentioned in Column No. (1) of the Table below, a Court of Sessions specified in the corresponding entry in Column No. (2) of the said Table to be the Special Court to try the offences under the said Act with effect from 8-10-2006.

TABLE

Name of the District (1)	Name of the Court of Sessions to be Special Court (2)
1. Janjgir-Champa	Court of Sessions Judge, Janjgir-Champa
2. Dhamtari	Court of Sessions Judge, Dhamtari
3. Mahasamund	Court of Sessions Judge, Mahasamund
4. Koria (Baikunthpur)	Court of Sessions Judge, Koria (Baikunthpur)
5. Uttar Bastar (Kanker)	Court of Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker)

This notification modifies the M. P. Government, Law Department Notification No. 1-2/90-XXI-B (1), dated 30th January, 1990 so far as it relates to erstwhile Sessions Division, Bilaspur, Raipur, Surguja at Ambikapur and Baster and M. P. Govt. notification No. 1-2/90-XXI-B (1), dated 26th October, 1995 so far as it relates to erstwhile Sessions Division Bilaspur, Raipur, Surguja at Ambikapur and Baster for specifying a Court of Sessions under Section, 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989).

All cases arising out of the area comprised within the Jurisdiction of Special Court Janjgir-Champa, Dhamtari, Manasamund, Koria (Baikunthpur), and Uttar Baster (Kanker) and pending in the Special Court at Bilaspur, Raipur, Surguja at Ambikapur and Baster respectively as on 8-10-2006 shall stand transferred to the Special Court constituted at Janjgir-Champa, Dhamtari, Mahasamund, Koria (Baikunthpur) and Uttar Baster (Kanker) respectively.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.